RESEARCH PAPER

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
e-ISSN: 2455-3085 | Vol.07 | No.01 | January 2022 | pp. 65-69
Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal

Globalization and its impact on Indian Agriculture
वैश्वीकरण और इसका भारतीय कृषि पर प्रभाव

*Dr. Pravesh Kumar

Assistant Professor, Department of Economics, Jawaharlal Nehru Degree College, Etah

Abstract

Globalization and its impact on Indian agriculture have been analyzed in this research paper. After 1991, one of the main components of the new economic policy in India, how has globalization affected our Indian agriculture and the agreement policy on agriculture that was formed after the World Trade Organization (WTO) came into existence on January 01, 1995. The impact that is being had on our Indian agriculture has also been discussed. The ASSOCHAM 2002 report is also described in general. What are the benefits of globalization to Indian agriculture? What is the loss? This has also been discussed in general.

Keywords: *globalization, WTO, subsidies, technology, side effects, labor force, competition, optimum*

Abstract in Hindi

इस शोध पत्र में वैश्वीकरण और इसके भारतीय कृषि पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। 1991 के बाद भारत में नई आर्थिक नीति के अवयवों में से प्रमुख अवयव वैश्वीकरण ने हमारी भारतीय कृषि पर किस प्रकार के प्रभाव डालें है तथा विश्व व्यापार संगठन ;ज्व्द्ध के 01 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आने के बाद कृषि पर जो समझौता नीति बनी उसके भी प्रभाव हमारी भारतीय कृषि पर जो पड़े है, उसका भी विवेचन किया गया है। एसोचौम 2002 की रिपोर्ट का भी सामान्य रूप से वर्णन किया गया है। भारतीय कृषि को वैश्वीकरण के कारन क्या लाभ हुआ है? क्या हानि हुई है? इसका भी सामान्य रूप से विवेचन किया गया है।

Keywords: *वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, सब्सिडी, टेक्नोलोजी, दुष्प्रभाव, श्रमबल, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलतम*

Article Publication

Published Online: 20-Jan-2022

***Author's Correspondence**

Dr. Pravesh Kumar

Assistant Professor, Department of Economics, Jawaharlal Nehru Degree College, Etah

praveshkumarpandey1971@gmail.com

10.31305/rrijm.2022.v07.i01.009

© 2022 The Authors. Published by RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव के रूप में देखना है। ''ग्लोवल विलेज' की अवधारणा कोई बहुत नई अवधारणा नहीं है। पहले के शक्तिशाली देश अपने राज्यों, साम्राज्यों और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए नये नये तरीके उपयोग करते थे। मौजूदा वैश्वीकरण एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत भारतीय गाँवों में उन वैश्वीय उत्पादों को स्थानीय उत्पादों में बदलते देखा जा सकता है जो अभी तक उनकी पहुँच से बहुत दूर होते थे। ग्रामीण समाज में भी फैलता उपभोक्ता बाद वैश्वीकरण का सबसे मजबूत उदाहरण है। अतः वैश्वीकरण कोई रातों–रात आर्थिक एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है।

एंथोनी गिडेंस के अनुसार– '' आज सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध ऐसे है जो राष्ट्रीय सीमाओं और भाग्य को निर्धारित करते है। दुनियाँ की इस बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता का ही विश्वव्यापीकरण या वैश्वीकरण कहते है'' .....(1) डॉ0 अग्रवाल अंकित भारत मे ग्रामीण समाज पृष्ठ0 306

भारत में वैश्वीकरण का प्रारम्भ सन् 1991 से माना जाता है 1991 के दशक के प्रारम्भ में नरसिंहराव सरकार के आगमन के साथ ही नई आर्थिक नीति में औद्योगिक व्यापारिक वित्तीय, मौलिक इत्यादि क्षेत्रों में उदारीकरण का प्रसार किया गया। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों से प्रति स्पर्दा बिठाने, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थ व्यवस्था से जोडने और देश की अर्थ व्यवस्था को निजीकरण की ओर मोडने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये। यह एक नये आर्थिक युग का सूत्रपात था।

वैश्वीकरण की अवधारणा (Concept of Globalization)

सामान्य रूप से हम कह सकते है कि उदारीकरण से अभिप्राय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबन्धों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ है सभी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकतानुसार निजी आर्थिक निर्णय लेने की स्वतन्त्रता। वैश्वीकरण की अवधारणा खुली अर्थव्यवस्था की विचार धारा पर आधारित है। अतः वैश्वीकरण को साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में सहयोग प्रदान करता है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक लेन–देन को स्वतन्त्रता पूर्वक सीमित नियंत्रण के अधीन किया जाता है। इसमें सार्वजनिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं होता है। वस्तुतः वैश्वीकरण का तात्पर्य व्यापार का विस्तार विश्व के विभिन्न देशों का विस्तार विश्व में विभिन्न देशों में होने से है यह वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जाता है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम एक उद्यम होता है। जिसकी आर्थिक व व्यापारिक क्रियायें अपने राष्ट्र से बाहर अन्य अनेक राष्ट्रों तक फैली रहती है।

अतः वैश्वीकरण को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। '' प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुसेवा, पूंजी तथा बौद्धिक सम्पदा का अप्रतिबन्धित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है'' हम स्पष्ट कह सकते हैं कि वैश्वीकरण तभी सम्भव है जब ऐसे आदान–प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाये और इन्हें कोई ऐसी अन्तराष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वसम्मत द्वारा नीति निर्धारक सिद्धान्तों का निरूपण करें।

वैश्वीकरण के मूल उद्देश्य (Basic objectives of Globalization)

वैश्वीकरण के मूल उद्देश्यों का उल्लेख हम निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

1. वैश्वीकरण मुद्राकोष में वृद्धि करने के लिए विदेशी विनिवेश तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है।
2. विनियम दरों में परिवर्तनों को वैश्वीकरण कम करता हैं।
3. वैश्वीकरण भुगतान सन्तुलन को सही करने में मदद करता है।
4. देश में औद्योगिक विकास करने के लिए विदेशी निवेशकों एवं विदेशी संस्थाओं या उपक्रमों में व्यापार और उद्योग करने की अनुमति प्रदान करता है।
5. वैश्वीकरण के द्वारा उद्योगपतियों को देश में नवीन उद्योगों की स्थापना का अवसर देना तथा विदेशी उद्योगपतियों को इसके लिए प्रेरित करना है।

वैश्वीकरण कार्यक्रम के आधार_(Basis of Globalization Programmes)

वैश्वीकरण कार्यक्रम के आधार को हम निम्नशीर्षकों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैंः–

1. विदेशी व्यापार (आयात निर्यात)।
2. एक देश की कम्पनी दूसरे देश की कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाइसेन्स पर उत्पाद निर्मित करके व्यापार करें।
3. एक देश की कम्पनी दूसरे देश की कम्पनी के आदेश पर माल तैयार करके उसको भेजे अथवा ठेके पर काम करें।
4. एक देश की कम्पनी दूसरे देश की कम्पनी को कलपुर्जे देकर उत्पादकता का एकीकरण करवायें।
5. दो देशों की कम्पनियों आपस में संयुक्त रूप से व्यापार करें।
6. दो देश आपसे में व्यापार कर समझौते करें।

वैश्वीकरण के अंग (Parts of Globalization)

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है परन्तु सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि वैश्वीकरण के अन्तर्गत किन–2 बातों को या तथ्यों को शामिल किया जाय। अर्थशात्रियों के अनुसार वैश्वीकरण के चार अंग है। जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं–

1. वैश्वीकरण के द्वारा व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोकटोक आदान–प्रदान हो सके।
2. ऐसी परिस्थितयाँ पैदाकरना जिसमें राज्यों में पूँजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके।
3. ऐसा वातावरण बनाना कि टैक्नोलोजी का निर्वाध प्रवाह हो सके और
4. ऐसा वातारण बनाना जिसमे विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्वाध प्रवाह हो सके।

हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के समर्थक विशेषकर विकसित देशों के समर्थक, वैश्वीकरण की परिभाषा को पहले तीन अंगों तक ही सीमित कर देते हैं। अर्थात निर्बाध टैक्नोलोजी प्रवाह को विकासशील देशों पर वैश्वीकरण की इस परिभाषा को स्वीकार करने के लिए दवाब डालते हैं और उनके द्वारा तय की गई परिधि में वैश्वीकरण पर विचार विमर्श करने पर बल देते है परन्तु विकासशील देशों के बहुत से अर्थशास्त्री यह मत रखते है कि यह परिभाषा अपूर्ण है और यदि वैश्वीकरण के समर्थकों का अन्तिम लक्ष्य समस्त संसार को एक '' सार्वभौमिक ग्राम के रूप में रखना है तो इसमें अंग अर्थात श्रम के निर्बाध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इस सारे मामले पर चाहे वाद–विवाद विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) या अन्य मंचों पर किया जाय। वास्तविकता यह है कि श्रम के निर्वाध प्रवाहों की पूर्णतयाः उपेक्षा की गई है भले ही यह विश्वव्यापीकरण का अनिवार्य अंग है।

हम कह सकते है कि वास्तव में नई आर्थिक नीति के अवयवों में उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख है परन्तु विश्व पटल पर वैश्वीकरण का अपना अलग ही महत्व है।

वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव–

1 जनवरी 1995 के प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझाते के स्थान पर औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आये विश्वव्यापार संगठन (W.T.O) के संस्थापक देशों में भारत भी एक है विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान कृषि क्षेत्र पर भी लागू है। कृषि क्षेत्र पर व्यापारिक प्रावधान तथा नीतियाँ सबसे ज्यादा विवादास्पद रही है। क्यों कि विकसित एवं विकासशील देशों की कृषि प्रणालियों में विकास की दृष्टि से भारी अन्तर है।

आर्थिक स्थिति, तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास, शिक्षा आदि की दृष्टि से विकास शील एवं पिछडे देशों में अधिकांशतः वडे पैमाने पर खेती की जाती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में सीमांत एवं लघु कृषकों की संख्या बहुत अधिक है।

भारत में कृषि लाखों कृषकों के जीवन यापन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय कृषकों के पास विपणन योग्य आधिक्य जहाँ बहुत कम है, वहीं विकसित देशों के पास विपणन योग्य आधिक्य बहुत अधिक है। इसके बाबजूद यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि विकसित देशों में कृषकों को बडे पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश अपने कृषकों को भी सब्सिडी देते है किन्तु उसका आकार प्रकार बहुत ही सीमित है। सब्सिडी काफी कम है।

1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आने के बाद कृषि पर समझौता सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो गया है इस समझौते में बाजार की पहुँच, निर्यात प्रतिस्पर्धा, बचनबद्धताएँ, घरेलू सहायता प्रमुख रही है परन्तु मंत्री स्तरीय बार्ताएं (Ministiral Levil Dialogves) विश्वव्यापार संगठन (W.T.O) के प्लेटफार्म पर कृषि समझौते पर मंत्र स्तरीय बार्ताए इन संवेदनशील मुदृदे पर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच व्याप्त मतभेदों के कारण विफल होती रही है। क्यों कि प्रमुख वार्ताओं में

1. कृषि उत्पादों के आयातों पर प्रशुल्कों में कमी लाना।
2. कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना।
3. कृषि को दी जा रही घरेलू सहायता को कम करना।
4. विकाशीलदेशों को अधिकृत विकास सहायता में वृद्धि करना। क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि जिन्सों के आयातों पर प्रशुल्कों आदि के मामले में विकसित देश विकासशील देश के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं।
5. कृषि के अन्तराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत को किस प्रकार की रणनीति बनाने की जरूरत है। जबकि भारत के 1429 उत्पादों के आयात पर से सभी प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध उठालिए है। मैं तो यह कहूँगा कि भारत को विकासशील देशों को संगठित करके प्रशुल्कों में कमी करने कृषि क्षेत्र में दी जा रही सहायता के स्तर को कम करने तथा कृषि उत्पादों के निर्यातों पर दी जा रही सब्सिडी को समाप्त करन के लिए विकाससित देशों पर दबाब बानाना चाहिए।

वैश्वीकरण के द्वारा भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति जो है उसके अनुसार कम से कम अभी तक भारत के कृषकों को घरेलू सहायता, कृषि उत्पादों के निर्यातों पर सब्सिडी के मामले में विश्व व्यापार संगठन (W.T.O) के प्रावधानों के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्रों को दी जा रही सब्सिडी का परिमाण सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के स्तर से भी कम है भारत में कृषि निर्यात अभी भी काफी कम सीमा तक प्रतिस्पर्धी है यही कारण है कि कृषि उत्पादकों का निर्यात वर्ष 2002–2003 में 29,312 करोड रूपये ही हो पाया है। परन्तु भारत के करोडों कृषकों की रक्षा हेतु विश्व व्यापार संगठन के मंच

पर विकसित देशों की कुटिल चालों को समझना होगा और उसमें सावधान भी रहना होगा। क्योंकि भारत के करोडों कृषकों के लिए कृषि जीवन यापनका एक महत्पूर्ण अंग है।

भारत के नीतिकारों को यह समझलेना चाहिए कि भारतीय कृषि का सम्बन्ध देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या से है यह देश के कुल उत्पादक श्रमबल में से 60 प्रतिशत से अधिक श्रमबल को रोजगार उपलब्ध कराती है। अतः हमें उन समझौतों को पूर तरह से नहीं मानना चाहिए, जो हमारी कृषि पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे देश में वैश्वीकरण के कारण कहीं कृषि पर ज्यादा बुरा प्रभाव न पड़े इसके लिए हमें विकसित देशों से टक्कर लेने के लिए मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे जैसे–

1. हमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि इस प्रकार करना है कि कुछ जिन्सों की उत्पादकता में वृद्धि कुछ अन्य फसलों की उपेक्षा की कीमत पर न हो।
2. निर्यात योग्य उत्पादन प्रणाली को बढ़ाना।
3. भारतीय कृषि को प्रति स्पर्धी बनाना ताकि विश्वव्यापार संगठन की वार्ताऐं व निर्णय चाहे वे किसी ओर ही क्यों न जाये, कृषकों के लिए लाभकारी रूप में परिवर्तित किये जा सके।
4. कृषि विपणन में सुधारों को आगे बढ़ाना इसके लिए कृषि उत्पादन विपणन विनियम अधिनियम को संशोधित करके उत्पादों के स्वतंत्र आवागमन को सुगम बनाया जाय।
5. कृषि क्षेत्र के संस्थागत प्रवाह को तत्काल बढ़ाया जाये।
6. खाद्यान्नों का भण्डारण सुरक्षित तरीके से कम से कम 3वर्ष के लिए किया जाये।

अतः हम यह कह सकते है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था ग्रामीण विकास की मुख्य आधार स्तम्भ कृषि ही है। कृषि में एकदम आये परिवर्तनों को अनेक लोगों, द्वारा विरोध भी किया गया हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विचार धारा के लोग है जो वैश्वीकरण से उपजी उदारीकरण की नीति के कारण भारतीय कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को उनसे होने वाले लाभों को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वैश्वीरकण के कारण भारत में कृषि को सामान्य तौर पर लाभ हुआ है यह अर्थशास्त्री लाभ को निम्नप्रकार स्पष्ट करते हैं ।

1. उनका कहना है कि वर्तमान में कृषि उत्पादकों पर व्यापार में लगे हुये अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों जैसे प्रशुल्कों को हटाया जा रहा है जिससे भारत उन वस्तुओं के निर्यात में बडोत्तरी कर सकता है जिसमे उसे तुलनात्मक लाभ है। पिछले 4, 5 वर्षो में समुद्री उत्पाद, पुष्पोत्पादन तथा डेयरी उत्पाद के निर्यातों मे वृद्धि हुई है।
2. भारतीय किसानों को अपना समान बेचने के लिए विभिन्न देशों के साथ कृषि उत्पादों मे प्रतिस्पर्धा करनी पडेगी। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए किसानों को आधुनिकतम विधियाँ अपनानी पडेगी जिससे भारतीय कृषि को लाभ होगा।
3. वैश्वीकरण के द्वारा कृषि निर्यात व रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफार्म भारतीय किसानों को मिला है कृषि का औद्यौगीकरण भी हुआ है। ऐसोचैम 2002 की रिपोर्ट के अनुसार मत्सत्यपालन रेशम कीटपालन, बनीकरण एकीकृत बानिकी बंजर भूमि विकास, भूसंरक्षण, कम्पोस्ट खाद तैयार करना एवं कृषि रोजगार क्षेत्र में असीम संभावनाए बढ़ी है।

भारत में वैश्वीरकण के कारण कृषि क्षेत्र में कुछ अर्थशात्रियों का मानना है कि इसके प्रभाव हानिकारक भी रहे है उनका कहना हैं कि– वैश्वीकरण व उदारीकरण का मुख्य लाभ अमीर किसानों को हुआ है लघु एवं सीमान्त जोत वाले किसानो को इसका लाभ नहीं मिला है भारतीय किसान पुरानी परम्परागत कृषि पद्वतियों तथा आदानो पर निर्भर है जबकि विकसित देश का किसान ट्रांसजैविक बीजों का प्रयोग कर रहा है अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वास्तविकता यह है कि भारत जैसे अनेक विकासशील देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या में लोग अपनी आजीविका और रोजागार पर वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण के प्रतिकूल असर का अनुभव कर रहे हैं हमारी भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव ज्यादा आशाजनक दिखाई नहीं दे रहे हैं किसानों पर अब विश्व बाजार के उतार–चढ़ाव का अधिक असर पडने लगा है आज वैश्वीकरण की आँधी भारतीय कृषि, समाज, संस्कृति को गहराई से प्रभावित कर रही है। वर्तमान भारतीय बाजार तरह–तरह के खाद्यान्नों एवं उत्पादों से भरे पढ़े हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 4600 विदेशी कम्पनियाँ है जो चाकलेट, कोका–कोला, फास्टफूड, शैम्पू, टूथपेस्ट, भारतीय कृषि की वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों , बीज आदि का पेटेन्ट हासिल कर उनकी विक्री पर अपना एकाधिकार जमाने के प्रयास करने में लगी है। अब तो यह कम्पनियाँ रक्षावंधन पर राखियाँ बनाने का भी काम करने लगी है। अब तो इन्हें लोक प्रिय भारतीय पेय नारियल पानी को बोतल में बंद करके बेचन की अनुमति मिल गई है। अनेक कृषि पदार्थो को यह सरे आम हमारे बाजार में बेच रहे है नमकीन, आलू, चिप्स आदि को यह तरह–तरह से प्रयोगकर हमारे देश के बाजारों में धड़ाधड बेच रहे हैं। और इनकी कम्पनियाँ अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। अतः हम कह

सकते है कि वैश्वीकरण ने हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव हमारी भारतीय कृषि पर न पडे इसके लिए हमें आवश्यकरूप से ऐसी नीतियों का निर्माण करना पडेगा। जिनसे भूमिहीन, साधनहीन किसानों कृषि मजदूरों को वास्तविक रूप से लाभ पहुँचे। वैज्ञानिक जागरूता, विधियों का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना है जिससे किसानों में जागृति आये वे प्रतिस्पर्धी बने। हमें कृषिगत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए ताकि वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके, अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए तकनीकी विकास भू–सुधार जीन, रूपान्तरित फसलों का प्रयोग कीटनियत्रणप्रबंध उर्वरक और सिंचाई जैस आदानों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाना चाहिए। हम कह सकते है कि वैश्वीकरण के कारण जहाँ हमारी भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव ज्यादा सफल दिखाई नहीं दे रहा हैं अतः हमे तथा हमारी देश सरकार को यह चाहिए की भारतीय कृषि को वैश्वीकरण अधिक हानि न पहुँचे इसके लिए अनुकूलतम नीतियों का निर्माण निश्चत रूप से करना पडेगा। वैश्वीकरण की नीति भारतीय कृषि पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सफल दिखाई नहीं दे रही है।

संदर्भ सूची

डॉ0 सिन्हा वी0पी0 डॉ0 सिन्हा पुष्पा– भारत की आर्थिक नीति एस0वी0 पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस आगरा संस्करण 2021–22

डॉ0 अग्रवाल अमित, भारत में ग्रामीण समाज ।

सिंह श्रीमती साधना भारतीय आर्थिक नीति, संजय पब्लिकेशन आगरा।

डॉ0 मिश्रा जे0पी0 भारत की आर्थिक नीतियाँ संस्करण 2013 साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

आर्थिक समस्यायें लक्ष्मीनारायन अग्रवाल प्रकाशन आगरा संस्करण संशोधित 2012।